**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 681 सन 2020

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति खाती निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
2. राजेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
3. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
4. दुर्गा पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 05/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 की कुल 2.5810हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 57 की कुल 1.5900हैक व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 116/1 की 1.3910हैक , खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक , खसरा न0 245/2 की 3.7300हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक साम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 की कुल 2.5810हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 57 की कुल 1.5900हैक व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 116/1 की 1.3910हैक , खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक , खसरा न0 245/2 की 3.7300हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 की कुल 2.5810हैक व रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 57 की कुल 1.5900हैक व रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 116/1 की 1.3910हैक , खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक , खसरा न0 245/2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की 3.7300हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि कालुराम वल्द खेताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा कालुराम वल्द खेताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को वराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल रोही मौज गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा 0 116/1 की 1.3910हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी सख्या 2 रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 96/6 की 1.5900हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 108/1 की 0.6320हैक खसरा न0 110/1 की 1.9490हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 1/2 हिस्सा बहिव रहेगा तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 245/2 की 3.7300हैक भूमि उतरी तरफ की भूमि 1.2433हैक भूमि वादी व उससे निचे पूर्वी तरफ की 1.2433हैक भूमि प्रतिवादी धर्मपाल एवं पश्चिम की 1.2434हैक भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ी )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति खाती निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 देवीलाल पुत्र कालुराम जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
2. राजेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
3. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
4. दुर्गा पुत्री देवीलाल जाति जाट साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 681 सन 2020 निर्णय दिनांक– 05/11/2020**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 देवीलाल रोही मौज गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा 0 116/1 की 1.3910हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी सख्या 2 रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 96/6 की 1.5900हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 108/1 की 0.6320हैक खसरा न0 110/1 की 1.9490हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का 1/2 हिस्सा बहिब रहेगा तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 245/2 की 3.7300हैक भूमि उतरी तरफ की भूमि 1.2433हैक भूमि वादी व उससे निचे पूर्वी तरफ की 1.2433हैक भूमि प्रतिवादी धर्मपाल एवं पश्चिम की 1.2434हैक भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति खाती निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र कालुराम जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
2. राजेन्द पुत्र देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
3. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
4. दुर्गा पुत्री देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 681 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 6/1/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव पैरोकार राज की उपस्थिति में अतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादी सख्या 1 देवीलाल रोही मौज गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा 0 116/1 की 1.3910हैक भूमि रहेगी प्रतिवादी सख्या 2 रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 172/1 की 0.7590हैक खसरा न0 333/1 की 0.9360हैक भूमि रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 96/6 की 1.5900हैक भूमि रहेगी एवं रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 85 के खसरा न0 108/1 की 0.6320हैक खसरा न0 110/1 की 1.9490हैक भूमि में वादी अकेला 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सख्या 2 ,3 का 1/2 हिस्सा बहिक रहेगा तथा रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 84 के खसरा न0 245/2 की 3.7300हैक भूमि उतरी तरफ की भूमि 1.2433हैक भूमि वादी व उससे निचे पूर्वी तरफ की 1.2433हैक भूमि प्रतिवादी धर्मपाल एवं पश्चिम की 1.2434हैक भूमि प्रतिवादी राजेन्द के पास रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनाक 6/1/2021. को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# संशोधित पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. महेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति खाती निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 देवीलाल पुत्र कालुराम जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
2. राजेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
3. धर्मपाल पुत्र देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
4. दुर्गा पुत्री देवीलाल जाति खाती साकिन गोरखाना तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 681 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 5/11/2020

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता पर्चा डिक्री दिनांक 05.11.2020 में रोही मौजा चैनपुरा के खसरा न0 96/6 की 1.5900हैक भूमि अंकित है के स्थान पर 95/6 की 1.5900हैक संशोधित किया जाता है शेष पर्चा डिक्री यथावत रहेगी व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner